THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise in view of the above. However full vigilance is kept in this regard and action is taken under Suppression of Immoral Traffic Act against persons found to be involved in immoral trafficking.

Closure of textile mills due to strikes and lock-outs

@2104. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the number of textile mills in the country which have been closed due to strikes or lock-outs;

(b) what steps are proposed to be taken by Government to solve the problem of industrial sickness in the textile industry; and

(c) what special efforts are proposed to be made by Government to obtain secured conditions of work for the industrial labour in the textile industry?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA):(a) As on 31.12.87, 48 textile mills were lying closed because of strikes/lock-outs.

(b) and (c) Government had set up a Nodal Agency to examine sick textile mills in order to ascertain whether they are potentially viable or not. The Nodal Agency evolves and manages rehabilitation packages for textile mills found by it to be viable. In addition, a Board for Industrial and Finance Reconstruction has been set up to consider the cases of sick textile companies also. A Textile Modernisation Fund has also been created to meet the modernisation needs of textile mills. Non-viable mills may have to close down permanently. Workers of those mills which closed down permanently on or after 6th June, 1985 will be eligible for financial assistance under the Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme.

@Previously Unstarred Question 1778, transferred from the 11th March, 1988.

Supervision of law and order by political parties at loan melas

2105. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE:

SHRI SUKOMAL SEN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that any political party can supervise maintenance of law and order at loan melas conducted by the nationalised banks; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Credit Camps are organised by banks with a view to accelerate the flow of credit to weaker sections. The maintenance of law and order in the State is Primarily the concern of the concerned State Government.

केन्द्रीय जल आयोग में संपादकों की नियुक्ति

2106. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच वर्ष पहले राजभाषा समिति की उप-समिति द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालय का दौरा करने के पश्चात् उसके संबंध में क्या निरीक्षण रिपोर्ट दी गई थी ; और

(ख) हिन्दी पत्रिका के लिये संपादकों की नियुक्ति के संबंध में तत्कालीन संयोजक द्वारा दी गयी सलाह को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) संसदीय राजभाषा समिति की उप-समिति द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के 5.9.1983 को किये गए दौरे की निरीक्षण रिपोर्ट की

प्रति संलग्न विवरण में दी गई है (**नीचे देखिये**) ।

(ख) निरीक्षण रिपोर्ट में तत्कालीन संयोजक द्वारा दी गई ऐसी किसी सलाह का उल्लेख नहीं है ।

विवरण

अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग को संबोधित संसदीय राजभाषा समिति के दिनांक 7 अक्तूबर, 1983 के पत्र संख्या 11013/6/83–समिति–2 की प्रति

विषय : संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई ।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने दिनांक 5.9.83 को आपके कार्यालय का निरीक्षण किया था । उपसमिति को प्रस्तुत की गई प्रश्नावली तथा उसके साथ संलग्न कागजों में और उपसमिति के साथ चर्चा के दौरान यह पाया गया कि कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई । इस सिलसिले में आपने आश्वासन दिया था कि आपके कार्यालय के सरकारी कामकाज में सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिन्दी का प्रयोग क्रमिक रूप से बढ़ाया जाएगा और इस संबंध में जारी किए गए नियमों और आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा । इस सिलसिले में कृपया निम्नलिखित बातों का खासतौर पर ध्यान रखें :

1. हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में शीघ्र प्रशिक्षित कराया जाएगा ।
2. कार्यालय में हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग बढ़ाई जाएगी ।
3. हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों को राजभाषा नियमों के नियम 8(4) के अन्तर्गत हिन्दी में काम करने के संबंध में आदेश दिए जाएंगे ।
4. हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी के काम पर लगाया जाएगा ।
5. हिन्दी भाषा राज्यों में तथा पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित कार्यालयों से और इन राज्यों में जनता से तथा मुख्यालय से मूलपत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाएगा ।
6. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा ।
7. वर्ग "ग" और "घ" के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएंगी ।
8. विभिन्न रजिस्टरों में इंदराज हिन्दी में किए जाएंगे ।
9. हिन्दी की अधिक पुस्तकें खरीदी जाएंगी ।
10. जल इंजीनियरी पर मूल रूप से हिन्दी में पुस्तके लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कार देने के संबंध में बनाई गई योजना को सिंचाई मंत्रालय द्वारा शीघ्र अनुमोदित करा लिया जाएगा ।
11. हिन्दी के क्रमिक प्रयोग के संबंध में राज भाषा विभाग द्वारा जारी किए गए 1983–84 के वार्षिक कार्यक्रम का पूर्णरूप से पालन किया जाएगा ।

अनुरोध है कि इस संबंध में जो भी प्रगति हुई अथवा जो योजना बनाई गई हो उसके बारे में संक्षेप में समिति के सचिवालय को 15.12.83 तक अवगत कराने का का कष्ट करें ।

Seizure of heroin in Punjab

2107. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: